प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023............
प्र0सू0रि0 सं. ....05/2023........... दिनांक ....7/1/2023..................

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें .... 7 ....
(ii) अधिनियम..धारायें..
(iii) अधिनियम.. धारायें...
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.......................131........ समय ....2:30 PM............
(ख) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक :– 06.01.2023 समय ....09.53 एएम.............
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– मारू स्कूल के पास फतेहपुर रोड सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– चौकी से दक्षिण–पश्चिम दिशा में करीब 4 किलोमीटर
(ब) पता :– मारू स्कूल के पास फतेहपुर रोड सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री नेमीचन्द
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री शेराराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 32 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी शोभ पोस्ट पलासरा पुलिस थाना रानोली जिला सीकर ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री हंसराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम, जाति जाट, उम्र–48 वर्ष, निवासी बिजारणियां की ढाणी, पुलिस थाना गुढागोडजी जिला झुंझुनूं हाल पटवारी पटवार हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.......................................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 50,000 रूपये.........................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर। विषय रिश्वत लेते हुये पकडवाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मैने अपनी मौसी की लडकी बहिन रतनी देवी/पूर्णमलजी दातला, गनोणा का निवासी है, को मेरे खेत पडौसी रूडाराम जी गुर्जर से जमीन खरीदी थी, यह शोभ निवासी है। उक्त कृषि भूमि करीब 5 बिघा की रजिस्ट्री मेरी बहिन के नाम रजिस्ट्री 02.01.2023 को करवाई थी। उक्त भूमि ग्राम शोभ पटवार हल्का पलासरा तहसील सीकर तन में स्थित है, जिसमें से 0.5620 है0 भूमि खरीदी गई है। उक्त भूमि का नामान्तरण मेरी बहिन रतनी देवी के नाम खुलवाने हेतु मैं मेरी बहिन के अनुसार श्री हंसराम पटवारी हल्का पलासरा से मिला तो उसने नामान्तरण खोलने के लिये मेरे से 5000 रूपये ले लिये, फिर फोन करके मेरे को बुलाया, बोला राम को आना अकेले ही आना, और किसी को साथ में लेकर मत आना, मैने रात 9 बजे उसके पास पहूँचा तो मेरे 1,00,000 रूपये

की मांगे, मेरे को बोला स्टे आ गया इसलिये मेरे को गिरदावर, सरपंच, तहसीलदार को भी देना पडेगा, मै पटवारी हंसराम को रिश्वत देना नहीं चाहता और उसे रिश्वत लेत रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देता हूँ कार्यवाही करें। एसडी–नेमीचन्द, श्री सुरेशचन्द पु0नि0 ट्रेप कार्यवाही करें, एसडी राजेश जांगिड, उप अधीक्षक पुलिस एसीबी सीकर दिनांक 05.01.2023, एसडी–पंकज कुमार, एसडी– अजय कुमार दिनांक 06.01.2023

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

<u>05.01.2023</u>

9.30 एएम इस समय परिवादी श्री नेमीचन्द पुत्र श्री शेराराम, जाति गुर्जर, उम्र–32 वर्ष, निवासी शोभ पोस्ट पलासरा पुलिस थाना रानोली जिला सीकर ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री हंसराम पटवारी से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी–सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत लेनदेन का बनना पाये जाने पर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी नेमीचन्द को टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। टेप रिकार्डर श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के साथ समय करीब 9.45 एएम पर रवाना किया गया। उसी दिन बाद सत्यापन समय 11.30 एएम पर श्री मूलचन्द कानि. मय परिवादी श्री नेमीचन्द उपस्थित कार्यालय आये। श्री मूलचन्द कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि " सीकर में पिपराली सर्किल के पास पहूँच मैने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया, जिस पर परिवादी ने पटवारी से सम्पर्क कर पिपराली सर्किल बुलाया तथा परिवादी ने पटवारी को अपनी गाडी में बैठाकर जयपुर की तरफ रवाना हो गया करीब 1 घण्टे पश्चात परिवादी के वापिस आने पर मैने टेप रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर लिया।" परिवादी नेमीचन्द ने बताया कि "पिपराली सर्किल के पास मैने मूलचन्द कानि. से टेप रिकार्डर प्राप्त कर श्री हंसराम पटवारी को सर्किल पर बुलाया, उसके आने पर मैने उसे अपनी गाडी में बैठाकर जयपुर रोड की तरफ ले गया तथा रास्ते में मैने अपने काम के बारे में वार्ता की, वार्ता के दौरान मैने उसे 50,000 रूपये स्वयं के पास से निकालकर दे दिये तब पटवारी ने 50,000 रूपये और देने की कही" टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि होती है। परिवादी ने अग्रिम कार्यवाही कल दिनांक 06.01.2023 को सुबह जल्दी ही करवाने की कही। परिवादी डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। दिनांक 06.01.2023 को सुबह 6.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर के दो राजकीय कर्मचारी को पाबन्द करवाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 06.01.2023 को समय करीब 6.30 एएम पर परिवादी श्री नेमीचन्द एवं पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी नेमीचन्द का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री नेमीचन्द ने हिदायत देने पर आरोपी श्री हंसराम पटवारी हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच–पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6FP 051767
2–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3DQ 635056
3–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GQ 683921
4–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BS 105809
5–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BM 665907

6–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8VH 113062
7–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9ED 877058
8–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6FC 082496
9–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1VM 367115
10–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BT 491400
11–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1ED 533727
12–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0CM 752608
13–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0DL 511938
14–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6KT 571435
15–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0DL 511939
16–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1DE 062996
17–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EL 330864
18–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1BA 347873
19–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9PT 230349
20–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0WR 150103
21–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6KT 571431
22–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6KT 571432
23–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6KT 571433
24–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6KT 571434
25–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3FE 854277
26–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FP 364153
27–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4TD 462430
28–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AL 672188
29–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6DM 761042
30–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5CB 191564
31–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0PF 856425
32–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7DD 053879
33–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2RQ 450686
34–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2ST 081207
35–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0DL 511941
36–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2DS 735709
37–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9KL 345562
38–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FW 469281
39–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BS 832899
40–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5HN 135802
41–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2SG 755573
42–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6KT 544620
43–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0KN 754444
44–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4US 200407
45–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1FG 974732
46–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0NL 987653
47–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7FG 051638
48–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2NK 200230
49–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4AK 571629
50–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3ES 918615
51–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2AL 342460
52–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2RW 953868
53–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8UF 572411
54–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2UW 913592
55–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1DC406512
56–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7AW 902448

57—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0GM 837713
58—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7UB 757818
59—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4HK 007259
60—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3ET 706396
61—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5KL 914705
62—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6BG 215767
63—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4HV 236077
64—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5LE 010026
65—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AR 516440
66—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2SK 031526
67—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4QR 895472
68—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5HK 321441
69—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0CT 585188
70—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0WF 016993
71—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1SK 692037
72—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2SF 641842
73—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4FS 841065
74—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7EB 128149
75—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FR 205913
76—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AC 417561
77—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6LP 306071
78—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6ER 841221
79—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2RQ 390090
80—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4AM 696077
81—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9UB 403394
82—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4VG 956236
83—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2RM 307490
84—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BN 891076
85—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FM 959487
86—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1RG 753063
87—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6VT 164791
88—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3WW 972676
89—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1HW 663149
90—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7EN 066658
91—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BR 436365
92—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9AT 619301
93—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EV 352075
94—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0EE 810481
95—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FQ 340617
96—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HQ 207483
97—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4EQ 070155
98—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1FG 126352
99—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0DD 676257
100—एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2ME 713645

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 50,000 रूपयों के नोट श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस

पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री नेमीचन्द को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

तत्पश्चात समय करीब 8.31 एएम पर आरोपी श्री हंसराम पटवारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिये परिवादी नेमीचन्द ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 9929735650 से श्री हंसराम पटवारी के मोबाईल फोन नं. 9549974887 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई तो पटवारी ने कुछ देर पश्चात बात करने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन के जरिये डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। परिवादी ने कृषि उपज मंडी के पास चलकर पटवारी का इन्तजार करने की कही, जिस पर परिवादी नेमीचन्द एवं श्री मूलचन्द कानि. को परिवादी के प्राईवेट वाहन से रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री अजय कुमार, श्री पंकज कुमार कनिष्ठ लिपिकगण एवं कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 एवं श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहन एवं मोटरसाईकलों के सीकर से रवाना होकर कृषि उपज मंडी सीकर के पास पहूँचा, जहॉ परिवादी नेमीचन्द ने समय करीब 9.24 एएम पर अपने मोबाईल फोन नम्बर 9929735650 से श्री हंसराम पटवारी के मोबाईल फोन नं. 9549974887 पर कॉल लगवाकर वार्ता की तो पटवारी ने कुछ देर में फतेहपुर रोड स्थित मारू स्कूल के पास पहूँचने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन के जरिये डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। बाद वार्ता मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के कृषि उपज मंडी से रवाना होकर समय करीब 9.36 एएम पर मारू स्कूल के पास पहूँचा, जहॉ परिवादी को उसकी गाडी में मारू स्कूल के दरवाजे के पास खडा कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के स्कूल के आस–पास परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय करीब 9.40 एएम पर मारू स्कूल फतेहपुर प्राईवेट बस स्टेण्ड सीकर के पास मुख्य सड़क पर मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को एक व्यक्ति अपनी मोटरसाईकल से चलकर मारू स्कूल के मुख्य दरवाजे के पास खडी परिवादी की पिकअप गाडी के पास आकर रूका तथा मोटरसाईकल से उतरकर परिवादी की गाडी में बैठ गया। समय करीब 9.53 एएम पर परिवादी ने अपने ड्राईवर सीट पर बैठे हुये अपने सीकर पर हाथ फेरकी तय ईशारा किया, जो सामने शिशे से स्पष्ट दिखाई दिया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आस–पास मुकिम जाप्ते को ईशारा करता हुआ परिवादी की गाडी के पास पहूँचा तो एक व्यक्ति परिवादी परिवादी के बराबर चालक सीट की तरफ बैठा दिखाई दिया, जिस पर परिवादी ने गाडी से नीचे उतरकर टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि'' यही हंसराम जी पटवारी है, जिन्होने मेरे से अभी अभी गाडी में बैठकर पचास हजार रूपये रिश्वत के लिये है, जो इन्होने अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जाकेट की साईड की दाहिनी जेब में रखे है'' इतने में ही उक्त व्यक्ति गाडी से नीचे उतर गया। रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश देने पर श्री हंसराम पटवारी का बांया हाथ कैलाशचन्द कानि. एवं दाहिना हाथ श्री रामनिवास कानि. ने कलाईयों के उपर से पकड़ लिये। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम हंसराम पटवारी पटवार हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर होना बताते हुये कहा कि '' मैने इनसे उधार के रूप में पैसे लिये है'' मौके पर परिवादी ने आरोपी पटवारी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि'' पटवारी जी झूँठ

बोल रहे है, मैने इनको कोई रूपये उधार के नहीं दिये है, इन्होने नामान्तरण भरने के लिये मुझे 1,00,000 रूपये रिश्वत के देने की कही, कल मैने इनको सत्यापन के दौरान 50,000 रूपये दिये, तब इन्होने मुझे शेष 50,000 रूपये और देने की कही थी, जो मैने आज इनको दिये है" मौके पर भीड–भाड को देखते हुये मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी पटवारी को उसी स्थिति में पकडे हुये वाहन में बैठाकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। आरोपी के सीकर स्थित आवास मकान की खाना तलाशी ली जानी है, इस हेतु श्री दलीप कुमार कानि. को पुलिस थाना उद्योगनगर से जाप्ता लेकर आवास की निगरानी हेतु मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया।

तत्पश्चात समय 10.25 एएम पर दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी हंसराम पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबीसा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी हंसराम पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सीलड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने निर्देश देने पर आरोपी हंसराम पटवारी ने अपनी पहनी हुई जाकेट की साईड की दाहिनी जेब में रखे पॉच–पॉच सौ रूपयों के नोटों की थेई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री पंकज कुमार से गिनवाया गया जो कुल 50,000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामदशुदा कुल 50,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी हंसराम पटवारी को उसकी पहनी हुई जाकेट उतारकर पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई जाकेट उतरवाकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी हंसराम पटवारी की पहनी हुई जाकेट की साईड की दाहिनी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव पी–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी हंसराम पटवारी की जाकेट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो कुछ नहीं पाया गया। आरोपी हंसराम पटवारी की उक्त जाकेट बरंग स्लेटी की साईड की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जाकेट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "ए" अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री हंसराम को परिवादी के नामान्तरण के कार्य के संबंध में पूछा तो बताया कि"इन्होने मुझे दिनांक 02.01.2023 रजिस्ट्री की कोपी देकर नामान्तरण भरने की कही तब मैने दिनांक 03.01.2023 को उनका नामान्तरण भर दिया था" दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, पी–1, पी–2, सील्ड रिश्वती राशि का कागज एंव सील्ड जाकेट का पैकेट मार्क "ए" पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया।

तत्पश्चात घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एव स्वतंत्र गवाहान के जरिये प्राईवेट वाहन घटना स्थल पहूँच नक्शा मौका पृथक से तैयार कर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। आरोपी श्री हंसराम पटवारी पटवार हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात समय 2.35 पीएम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 05.01.2023 को परिवादी से लिये 50,000 रूपयों के बारे में पूछने पर बताया कि "दिनांक 05.01.2023 को परिवादी श्री नेमीचन्द

से 50,000 रूपये लिये थे, वह रूपये मैने अपने मकान किसान कॉलोनी सीकर कमरे में रखे है, जो मैं बरामद करा सकता हूँ" उक्त ईत्तला के आधार पर 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत फर्द पृथक से तैयार की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, श्री मूलचन्द कानि. मय गिरफ्तार शुदा आरोपी हंसराम पटवारी को साथ लेकर आरोपी के निवास स्थान पहूँचा। आरोपी पटवारी द्वारा अपने मकान से रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.01.2023 के दौरान परिवादी से प्राप्त किये गये 50,000 रूपयों को अपने मकान में बने कमरे में रखी आलमारी से निकालकर पेश किये जिसे जरिये फर्द पृथक सील चीट कर जप्त किया गया। बरामदगी स्थल का पृथक से नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया गया। इसी दौरान आरोपी के आवास की खाना तलाशी लिये जाने हेतु श्री इस्माईल खान एएसपी एसीबी झुंझूनूं मय जाप्ता के उपस्थित आये, जिनको आरोपी पटवारी के भाई की मौजूदगी में खाना तलाशी की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया। बाद कार्यवाही उपरोक्त मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी मय जप्त शुदा राशि के उपस्थित कार्यालय हुआ। जप्त शुदा राशि मुताबिक फर्द जमा मालखाना करवाई गई।

तत्पश्चात परिवादी नेमीचन्द द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 05.01.2023 को आरोपी श्री हंसराम पटवारी हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। उपरोक्त वार्ता का स्वतत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी नेमीचन्द ने स्वंय की व आरोपी श्री हंसराम पटवारी हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात दिनांक 06.01.2023 को समय करीब 8.31 एएम पर परिवादी नेमीचन्द के मोबाईल फोन नम्बर 9929735650 से श्री हंसराम पटवारी के मोबाईल फोन नं. 9549974887 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन के जरिये डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। दिनांक 06.01.2023 को समय करीब 9.24 एएम पर परिवादी नेमीचन्द के मोबाईल फोन नम्बर 9929735650 से श्री हंसराम पटवारी के मोबाईल फोन नं. 9549974887 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन के जरिये डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। परिवादी नेमीचन्द द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 05.01.2023 को आरोपी श्री हंसराम पटवारी हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। उपरोक्त तीनों वार्ताओं का स्वतत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर से तीन सीडी तैयार कर एक सीडी को सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। आरोपी व अन्वेषण हेतु दो सीडी खुली रखी गई। रिकार्ड वार्ता में परिवादी नेमीचन्द ने स्वंय की व आरोपी श्री हंसराम पटवारी हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर की आवाजों की पहचान की है। प्रकरण से संबंधित समस्त मालवजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया।

की कार्यवाही से आरोपी श्री हंसराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम, जाति जाट, उम्र–48 वर्ष, निवासी बिजारणियां की ढाणी, पुलिस थाना गुढागोडजी जिला झुंझुनूं हाल पटवारी पटवार हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री नेमीचन्द की बहिन श्रीमती रतनी देवी द्वारा जरिये रजिस्ट्री क्रय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में परिवादी से 1,00,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.01.2023 को परिवादी से 50,000 रूपये प्राप्त करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 06.01.2023 को शेष 50,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.01.2023 को परिवादी से प्राप्त 50,000 रूपये धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत बरामद करवाना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री हंसराम पटवारी पटवार हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर उक्त

[illegible] सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री हंसराम पटवारी पटवार हल्का पलासरा तहसील व जिला सीकर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हंसराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम, पटवारी, पटवार हल्का पलासरा, तहसील व जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 05/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 36-39 दिनांक 7.1.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-2, जयपुर।
2. जिला कलक्टर सीकर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

7.1.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।